झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

राँची, दिनांक-21/03/2024

संख्या-5/आरोप-1-19/2016 का॰--25011 (HRMS)/ श्री प्रमोद राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-85/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-709/स्था0, दिनांक 19.12.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध अंचल कुंदा के ग्राम-डोकवा एवं मौजा-पंचम्बा की कुल 50.50 एकड़ भूमि नीलांचल आयरन एण्ड पावर लि0 के नाम से अवैध जमाबंदी करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं0-26312(HRMS), दिनांक 17.10.2019 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-98, दिनांक 10.02.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राम के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3950, दिनांक 12.08.2021 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री राम के पत्रांक-259/आ0, दिनांक 20.04.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

4. श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-18458(HRMS), दिनांक-09.12.2022 द्वारा श्री राम के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

5. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री राम का अपील अभ्यावेदन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3276/रा0स0, दिनांक-17.10.2023 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया। श्री राम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान में प्रस्तुत किया गया है। राजस्व विभाग के परिपत्र सं0-1525, दिनांक 11.05.2022 में स्पष्ट उल्लेख है कि अंचलाधिकारी अधीनस्थ पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर मैकेनिकल ढंग से कार्रवाई करने के पूर्व अपने विवेक का भी उपयोग करे तथा रैण्डम बेसिस पर स्थल निरीक्षण भी कर लें। गलत आदेश की जिम्मेवारी से मात्र इस आधार पर नहीं बचा जा सकता है कि अधीनस्थ कर्मियों के प्रतिवेदन तथा अनुशंसा पर आधारित था। इसी तरह का आदेश माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा भी WP(C) No 4220/2007 जैतून बीबी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित किया गया है।

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा भी श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

7. समीक्षोपरांत, श्री राम द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-18458(HRMS), दिनांक 09.12.2022 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी संलेख प्रारूप माननीय मुख्य(विभागीय) मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् तत्संबंधी संलेख ज्ञापांक- 1647 दिनांक-04.03.2024 में सन्निहित उक्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2024 में मद संख्या-18 पर स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री प्रमोद राम, झा0प्र0से0, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-18458(HRMS), दिनांक 09.12.2022 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PARMOD RAM 20080400072	श्री प्रमोद राम, झा0प्र0से0, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-18458(HRMS), दिनांक 09.12.2022 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रमोद राम, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(चिन्दु दोराईबुरु)
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:20060400057

ज्ञापांक-5/आरोप-1-19/2016 का॰--25011 (HRMS)/राँची — दिनांक-21/03/2024

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-19/2016 का॰--25011 (HRMS)/राँची — दिनांक-21/03/2024

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, चतरा/उपायुक्त, खूँटी/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-5/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी पी0एम0यू0 कोषांग/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6/श्री प्रमोद राम, झा0प्र0से0, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Prepared By:- SUDERSHAN KUMAR DUBEY - (110021398449)